भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6
07 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

पंजाब में सहकारी समितियां

6. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारिता के क्षेत्र में देश में क्रियाशील योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं और सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र में कार्य के लिए पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): सहकारी क्षेत्र का पुनरुत्थान करने, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों का निर्माण करने और पंजाब राज्य सहित देश भर में जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच स्थापित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय निम्न योजना कार्यान्वित कर रहा है :

- 2,516 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना।
- सहकारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन सी.एस.आई.एस.ए.सी. योजना के तहत सहकारी समितियों को सब्सिडी/अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 341.67 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 47.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंचायत स्तर पर पैक्स को बहुउद्देश्यीय जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के लिए मॉडल उपनियम।

- सभी हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण।
- शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सी.जी.टी.एम.एस.ई (CGTMSE) के तहत सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (Member Lending Institutions) के रूप में शामिल करना।
- "खरीददारों" के रूप में जेम (GeM) पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अलावा, अन्य मंत्रालय/विभाग भी सहकारी समितियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रहे हैं जैसे:

- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) – यह फार्म गेट पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने के लिए 3% का ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
- कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) – यह विपणन सुविधाओं के लिए कृषि अवसंरचना के निर्माण हेतु 25 से 33% सब्सिडी प्रदान करती है।
- डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) – यह राज्य डेयरी संघों, जिला दुग्ध संघों आदि को नई दूध प्रसंस्करण इकाइयां, दूध परीक्षण उपकरण आदि स्थापित करने के उद्देश्य से 2.5% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) – यह विभिन्न मत्स्य गतिविधियों के लिए 40% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

इसके अलावा, वर्तमान तिथि तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने पंजाब राज्य में 1,169.86 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया है।

(ग): सहकारी क्षेत्र के लिए पंजाब राज्य से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

1. पंजाब राज्य से 3,523 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे "पैक्स के कम्प्यूटरीकरण" परियोजना के तहत शामिल किया गया है।
2. पंजाब सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग से पंजाब मार्कफेड के लिए 10,000 करोड़ रुपये के धान एम.एस.पी. संचालन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा स्वीकृत किया गया है।

*****